



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन



रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.90/आरएमएससी/भण्डार/टोनर/2024-25/ 259

ई-मेल :rmsc@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

दिनांक 18/7/24

निविदा सूचना

U.B.N. No.....

वित्तीय वर्ष 2024-25 में टोनर कार्ट्रिजेज क्रय किये जाने हेतु खुली निविदा जारी की जाती है। इच्छुक निविदादाता 500/- रु नगद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं या SPPP एवं RMSC की वेबसाइट से अपलोड कर राशि रु. 500/- का डी.डी. आरएमएससी के नाम देय हो, निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाएँ दिनांक 19.07.2024 से जारी की जाकर दिनांक 26.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक सीलबंद लिफाफो में प्राप्त की जावेगी तथा दिनांक 29.07.2024 को सांय 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की अनुमानित लागत रु. 7.00 लाख रुपये है तथा निविदा के साथ रु. 14,000/- बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. जमा कराना होगा।

निविदा स्वीकर करने अथवा नहीं करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

उक्त निविदा सूचना को www.sppp.rajasthan.gov.in एवं <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

RajKaj Ref
9006113



Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 11:04:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन



राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.90/आरएमएससी/भण्डार/टोनर/2024-25/259

दिनांक 18-07-2024

टोनर काट्रिड्जेज क्रय हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा शर्तों का पूर्ण अध्ययन करके ही निविदा दरे दें।
2. लिफाफे पर निविदा बाबत् सूचना क्रमांक एवं दिनांक अंकित होनी चाहिये।
3. दरें सभी प्रकार के कर सम्मिलित करते हुए देनी होगी।
4. निविदादाता को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता की निविदा में अन्य कोई शर्त अंकित होने पर मान्य नहीं होगी।
6. यह दर संविदा 01 वर्ष के लिए मान्य होगी। पूरे वर्ष में आवश्यकतानुसार आदेश दिये जाएंगे। निविदा में अंकित मात्रा अनुमानित है जिसमें आवश्यकता के अनुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
7. निविदादाता को दूरभाष या पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्ति के पश्चात् 01 दिवस के अन्दर आदेशित सामग्री की आपूर्ति कर इन्स्टॉलेशन की कार्यवाही करनी होगी, इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में सामग्री की सप्लाई नहीं किये जाने पर लिक्विडेटेड डेमेज की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
8. निविदा मूल्यांकन का आधार- जिस निविदादाता की दरें अधिक मदों में न्यूनतम आएगी उसको अन्य न्यूनतम दरदाता की दरों से दर मिलान हेतु बुलाया जाएगा।
9. उच्चदर या निम्न दर को निविदा स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति में निहित है। निविदा में अंकित अनुमानित सामग्री से कम/अधिक आपूर्ति का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।
10. निविदा में केवल प्रिन्टर की निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित Genuine Toner Cartidge की दरें ही मान्य होगी तथा Competive Toner Cartidge की दरें मान्य नहीं होगी।
11. कार्यालय में सप्लाई की जाने वाली सामग्री Genuine नहीं होने पर सामग्री स्वीकार नहीं की जायेगी तथा कार्यालय द्वारा जारी सप्लाई आदेश को निरस्त कर सफल निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर/सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
12. सभी करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
13. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
14. नये टोनर के बिल के साथ इन्स्टॉलेशन रिपोर्ट संलग्न कर दो प्रतियों में देना होगा।
15. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अन्य शर्तों तथा राज0 लोक उपापन नियम 2013 में वर्णित नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
16. निविदादाता द्वारा दी गयी दरों में सभी व्यय व कर सम्मिलित होंगे।
17. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का SOP Act में पंजीकृत फर्म होने के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करनी होगी।
18. अनुमोदित निविदादाता को LOA जारी होने के 05 दिवस में नियमानुसार रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ सुरक्षा राशि रु. 35,000/-का डी.डी. आरएमएससीएल के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा के साथ जमा करायी गयी अमानत राशि का समायोजन सुरक्षा राशि में किया जा सकेगा।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

मुझे/हमें उक्त सभी शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म की मोहर

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 15:04:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर



फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.90/आरएमएससी/भण्डार/टोनर/2024-25/

ई-मेल : rmsc@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

दिनांक

:- वित्तीय निविदा प्रपत्र :-

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
व पता
2. निविदादाता का नाम :
3. दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर : (O) (R)
4. किसको संबोधित किया जायेगा : MD, RMSCL, Jaipur
5. अनुमानित लागत : 7,00,000 /-
6. अमानत राशि : 14,000 /-
7. मैं/हम उक्त प्रासंगिक निविदाकर्ता द्वारा जारी निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करते हैं तथा साथ ही अन्य शर्तों व अनुबन्ध जो कि निविदा प्रपत्र के साथ ही संलग्न स्वीकार करते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
8. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण :-

क्र. सं.	प्रिंटर नाम	मॉडल नम्बर	कार्टेज की अनुमानित मात्रा	बैसिक दर प्रति कार्टेज	जीएसटी	कुल दर प्रति कार्टेज
1	MFC bother	L5900DW	10			
2	HP	M 128 FN	05			
3	HP	M 203 DW	05			
4	HP	M 226 DW	05			
5	Samsung	M 2876 ND	51			
6	EPSON	M 3170	28 set			
7	HP	M 329 DW	58			
8	Samsung	M 3320 ND	08			
9	HP	M1213NF MFP	05			
10	Canon	MF 3010	16			
11	Canon (Colour)	MFB 31 CN	10 set			
12	HP	MFP M128FN	05			
13	Samsung	ML 3310 ND	20			
14	HP	P 1606 DN	18			
15	EPSON (Colour)	WF-C5790	15 set			

9. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 01 दिवस की अवधि में सामग्री की सुपुर्दगी करनी होगी।
संलग्न :- शर्तें

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म की मोहर

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 11:04:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन



रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :rmsc@nic.in
Website : www.rmsc.nic.in

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टर कन्जुमेबल्स सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

Digitally signed by Ramendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 11:04:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर



फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :rmsc@nic.in
Website : www.rmsc.nic.in

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टर कन्जुमेबल्स सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को प्रिन्टर कन्जुमेबल्स सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही निगम से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 12:04:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन



रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :rmsc@nic.in
Website : www.rmsc.nic.in

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of 10/-)

I..... S/o Aged..... yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of M/s do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center The acknowledgment No. is Dated and has been issued for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/o Aged yrs residing at Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 15:04:28 IST
Reason: Approved

- 1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
 - (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
- 2. सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –
 - (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
 - (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
 - (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
 - (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
 - (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
 - (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
 - (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी भी नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी भी

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 15:04:28 IST
Reason: Approved

3. हित का विरोध -

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
 - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली के प्रभाव को प्रभावित करने की स्थिति रखता हो।
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 12:04:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन



राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :rmisc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmisc.nic.in

तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

4. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (**प्रपत्र-व**) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए उपापन और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :rmisc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmisc.nic.in

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्ररूप** - (1) राजस्थान लोक उपापन **Rajkajjar** शर्तित अधिनियम, 2012 के धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र) - **9906113** - **Digitally signed by Rajendra Singh**
जितने कि अपील में प्रत्यर्था हैं।
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.26 15:04:28 IST
Reason: Approved

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को होगा।
6. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

RajKaj Ref
9006113

Signature valid

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर म. सिंह
Digitally signed by M. Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.07.16 15:04:28 IST
Reason: Approved